[राज्य सभा में पुरःस्थापित रूप में]

2021 का विधेयक संख्यांक 31

[दि लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप (अमेंडमेंट) बिल, 2021 का हिंदी अनुवाद]

सीमित दायित्व भागीदारी (संशोधन) विधेयक, 2021

सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008
का संशोधन करने के लिए
विधेयक

भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो,—

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम सीमित दायित्व भागीदारी (संशोधन) अधिनियम, 2021 है । संक्षिप्त नाम और प्रारंभ ।

5 (2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे और इस अधिनियम के भिन्न-भिन्न उपबंधों के लिए भिन्न-भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी और ऐसे किसी उपबंध में इस अधिनियम के प्रारंभ के प्रति किसी निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह उस उपबंध के प्रवृत्त होने के प्रतिनिर्देश है ।

2009 का 6 10
1956 का 1
2013 का 18

2. संपूर्ण सीमिति दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) में "कंपनी अधिनियम, 1956" शब्दों और अंकों के स्थान पर, जहां कहीं वे आते हैं, "कंपनी अधिनियम, 2013" शब्द और अंक रखे जाएंगे । कतिपय अन्य पदों द्वारा कतिपय पदों के निर्देश का प्रतिस्थापन ।

धारा 2 का संशोधन ।

3. मूल अधिनियम की धारा 2 में, उपधारा (1) में,—

(क) खंड (ग) में, "धारा 10चद की उपधारा (1)", शब्दों, अंकों, अक्षरों और कोष्ठकों के स्थान पर, "धारा 410", शब्द और अंक रखे जाएंगे ;

(ख) खंड (घ) में, "धारा 3", शब्द और अंक, दोनों स्थानों पर, जहां कहीं वे आते हैं, के स्थान पर "धारा 2 का खंड (20)", शब्द, अंक और कोष्ठक रखे जाएंगे ;

(ग) खंड (ङ) में, "और उपजीविका", शब्दों के स्थान पर, "और उपजीविका, किसी अन्य क्रियाकलाप के सिवाए, जो केंद्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, अपवर्जित कर सकेगी" शब्द रखे जाएंगे ;

(घ) खंड (झ) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

'(झक) "डिबेंचर" से ऋण से साक्ष्यिक रूप में सीमित दायित्व भागीदारी द्वारा जारी गैर-संपरिवर्तनीय डिबेंचर और ऐसी सीमित दायित्व भागीदारी की आस्तियों पर आरत के रूप में होना अभिप्रेत है ;';

(ङ) खंड (द) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

'(दक) "प्रादेशिक निदेशक" से, यथास्थिति, इस अधिनियम या कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रयोजनों के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा ऐसी हैसियत से नियुक्त व्यक्ति अभिप्रेत है ;'; 2013 का 18

(च) खंड (ध) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

'(ध) "रजिस्ट्रार" से, यथास्थिति, इस अधिनियम या कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रयोजनों के लिए, केंद्रीय सरकार द्वारा, रजिस्ट्रार, अतिरिक्त रजिस्ट्रार, संयुक्त रजिस्ट्रार, उप-रजिस्ट्रार या सहायक रजिस्ट्रार के रूप में नियुक्त कोई व्यक्ति अभिप्रेत है ;'; 2013 का 18

(छ) खंड (न) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

'(नक) "लघु सीमित दायित्व भागीदारी" से ऐसी सीमित दायित्व भागीदारी अभिप्रेत है—

(i) जिसका अभिदाय पच्चीस लाख रुपए से अधिक नहीं है या ऐसी उच्चतर रकम, जो पांच करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, जो विहित की जाए ; और

(ii) जिसका आवर्त, ठीक पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के लिए लेखा-विवरण और शोधन क्षमता के अनुसार, पैंतालीस लाख रुपए से अधिक नहीं है या ऐसी उच्चतर रकम, जो पचास करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, जो विहित की जाए ; या

(iii) जो ऐसी अन्य अपेक्षाएं पूरी करती हैं जो विहित की जाएं,

और जो ऐसी अन्य शर्तें और निबंधन, जो विहित की जाएं, पूरी करती हैं ;";

(ज) खंड (प) में, "धारा 10चख की उपधारा (1)" शब्दों, अंकों, अक्षरों और कोष्ठकों के स्थान पर "धारा 408" शब्द और अंक रखे जाएंगे ।

4. मूल अधिनियम की धारा 7 में,— धारा 7 का संशोधन ।

(क) उपधारा (1) में, स्पष्टीकरण में, "ठीक पूर्ववर्ती एक वर्ष के दौरान बयासी दिन" शब्दों के स्थान पर, "वित्तीय वर्ष के दौरान बीस दिन" शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) उपधारा (6) में, "धारा 266क से धारा 266छ", शब्दों, अंकों और अक्षरों के स्थान पर, "धारा 153 से धारा 159" शब्द और अंक रखे जाएंगे ।

5. मूल अधिनियम की धारा 10 में,— धारा 10 का संशोधन ।

(क) पार्श्व शीर्ष में, "8" अंक का लोप किया जाएगा ;

(ख) उपधारा (1) में, "जुर्माने से, जो दस हजार रुपए से कम का नहीं होगा, किंतु जो पांच लाख रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा", शब्दों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :–

"दस हजार रुपए के जुर्माने का दायी होगा और ऐसा उल्लंघन जारी रहने की दशा में, ऐसे पहले दिन के पश्चात जिसके दौरान ऐसा उल्लंघन जारी रहता है, सीमित दायित्व भागीदारी के लिए अधिकतम एक लाख रुपए और ऐसी सीमित दायित्व भागीदारी के प्रत्येक भागीदार के लिए पचास हजार रुपए के अधीन रहते हुए, प्रत्येक दिन के लिए सौ रुपए अतिरिक्त जुर्माने का दायी होगा ।";

(ग) उपधारा (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधाराएं रखी जाएंगी, अर्थात् :—

"(2) यदि सीमित दायित्व भागीदारी धारा 7 की उपधारा (4) के उपबंध का उल्लंघन करती है तो ऐसी सीमित दायित्व भागीदारी और उसका प्रत्येक पदाभिहित भागीदार पांच हजार रुपए के जुर्माने का दायी होगा और ऐसा उल्लंघन जारी रहने की दशा में, ऐसे पहले दिन के पश्चात् जिसके दौरान ऐसा उल्लंघन जारी रहता है, सीमित दायित्व भागीदारी के लिए अधिकतम पचास हजार रुपए और ऐसी सीमित दायित्व भागीदारी के प्रत्येक पदाभिहित भागीदार के लिए पच्चीस हजार रुपए के अधीन रहते हुए, प्रत्येक दिन के लिए सौ रुपए अतिरिक्त जुर्माने का दायी होगा ।

(3) यदि सीमित दायित्व भागीदारी धारा 7 की उपधारा (5) या धारा 9 के उपबंधों का उल्लंघन करती है तो ऐसी सीमित दायित्व भागीदारी और उसका प्रत्येक भागीदार दस हजार रुपए के जुर्माने का दायी होगा और ऐसा उल्लंघन जारी रहने की दशा में, ऐसे पहले दिन के पश्चात् जिसके दौरान ऐसा उल्लंघन जारी रहता है, सीमित दायित्व भागीदारी के लिए अधिकतम एक लाख रुपए और ऐसी सीमित दायित्व भागीदारी के प्रत्येक भागीदार के लिए पचास हजार रुपए के अधीन रहते हुए, प्रत्येक दिन के लिए सौ रुपए अतिरिक्त जुर्माने का दायी होगा ।"।

6. मूल अधिनियम की धारा 13 में, उपधारा (4) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :— धारा 13 का संशोधन ।

"(4) यदि इस धारा की अपेक्षाओं के अनुपालन में कोई चूक की जाती है तो सीमित दायित्व भागीदारी और उसका प्रत्येक भागीदार, ऐसी चूक के जारी रहने की दशा में, ऐसे पहले दिन के पश्चात् जिसके दौरान ऐसी चूक जारी रहती है, सीमित दायित्व भागीदारी और उसके प्रत्येक भागीदार के लिए अधिकतम पचास

हजार रुपए के अधीन रहते हुए, प्रत्येक दिन के लिए पांच सौ रुपए अतिरिक्त जुर्माने का दायी होगा।"।

धारा 15 का संशोधन ।

7. मूल अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (2) में, खंड (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(ख) किसी अन्य सीमित दायित्व भागीदारी या कंपनी या व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999 के अधीन किसी अन्य व्यक्ति के रजिस्ट्रीकृत व्यापार चिह्न के समरूप है या उससे कुछ मिलता-जुलता है ।"। 1999 का 47

धारा 17 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन ।

8. मूल अधिनियम की धारा 17 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

सीमित दायित्व भागीदारी के नाम की परिशुद्धि ।

"17. (1) धारा 15 और धारा 16 में किसी बात के होते हुए भी, जहां कोई सीमित दायित्व भागीदारी, चाहे अनवधानता से या अन्यथा, अपने पहले रजिस्ट्रीकरण पर या किसी नए नाम में रजिस्ट्रीकरण पर किसी ऐसे नाम से रजिस्ट्रीकृत हो गई है, जो,—

(क) किसी अन्य सीमित दायित्व भागीदारी या कंपनी ; या

(ख) व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999 के अधीन ऐसे स्वत्वधारी का रजिस्ट्रीकृत व्यापार चिह्न है, 1999 का 47

के समरूप है या उससे इतना मिलता-जुलता है, जिससे भूल होने की संभावना है,

वहां केंद्रीय सरकार ऐसी सीमित दायित्व भागीदारी या क्रमश: खंड (क) और खंड (ख) में विनिर्दिष्ट स्वत्वधारी या कंपनी को निदेश दे सकेगी कि ऐसी सीमित दायित्व भागीदारी निदेश जारी करने की तारीख से तीन मास की अवधि के भीतर अपने नाम में या नए नाम में परिवर्तन करे :

परंतु रजिस्ट्रीकृत व्यापार चिन्ह के स्वत्वधारी का कोई आवेदन, इस अधिनियम के अधीन निगमन या रजिस्ट्रीकरण या सीमित दायित्व भागीदारी के नाम परिवर्तन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के भीतर चलाने योग्य होगा ।

(2) जहां कोई सीमित दायित्व भागीदारी, जो उपधारा (1) के अधीन अपना नाम परिवर्तन करती है या नया नाम प्राप्त करती है, वहाँ वह ऐसे परिवर्तन की तारीख से पंद्रह दिन की अवधि के भीतर, रजिस्ट्रार को परिवर्तन की सूचना केंद्रीय सरकार के आदेश के साथ देगी जो निगमन प्रमाणपत्र में आवश्यक परिवर्तन करेगा और निगमन प्रमाणपत्र में ऐसे परिवर्तन के तीस दिन के भीतर ऐसी सीमित दायित्व भागीदारी अपने सीमित दायित्व भागीदारी करार में अपना नाम परिवर्तित करेगी ।

(3) जहां उपधारा (1) के अधीन दिए गए किसी निदेश का अनुपालन करने में सीमित दायित्व भागीदारी चूक करती है, तो केंद्रीय सरकार, ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, सीमित दायित्व भागीदारी को कोई नया नाम आवंटित करेगी और रजिस्ट्रार पुराने नाम के स्थान पर सीमित दायित्व भागीदारी का नया नाम रजिस्टर में दर्ज करेगा और नए नाम के साथ नया निगमन प्रमाणपत्र जारी करेगा जिसे सीमित दायित्व भागीदारी उसके पश्चात् प्रयोग करेगी :

परंतु इस धारा की कोई बात, सीमित दायित्व भागीदारी को धारा 16 के उपबंधों के अनुसार अपने नाम में पश्चात्वर्ती परिवर्तन को नहीं रोकेगी ।"।

9. मूल अधिनियम की धारा 18 का लोप किया जाएगा । धारा 18 का लोप ।

10. मूल अधिनियम की धारा 21 में, उपधारा (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :— धारा 21 का संशोधन ।

"(2) यदि सीमित दायित्व भागीदारी इस धारा के उपबंधों का उल्लंघन करती है तो सीमित दायित्व भागीदारी दस हजार रुपए के जुर्माने की दायी होगी ।"।

11. मूल अधिनियम की धारा 25 में, उपधारा (4) और उपधारा (5) के स्थान पर निम्नलिखित उपधाराएं रखी जाएंगी, अर्थात् :— धारा 25 का संशोधन ।

"(4) यदि सीमित दायित्व भागीदारी उपधारा (2) के उपबंधों का उल्लंघन करती है तो सीमित दायित्व भागीदारी और उसका प्रत्येक पदाभिहित भागीदार दस हजार रुपए के जुर्माने का दायी होगा ।

(5) यदि उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट उल्लंघन सीमित दायित्व भागीदारी के किसी भागीदार द्वारा किया गया है तो ऐसा भागीदार दस हजार रुपए के जुर्माने का दायी होगा ।"।

12. मूल अधिनियम की धारा 30 में, उपधारा (2) में, "दो वर्ष" शब्दों के स्थान पर, "पांच वर्ष" शब्द रखे जाएंगे । धारा 30 का संशोधन ।

13. मूल अधिनियम की धारा 34 में, उपधारा (5) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :— धारा 34 का संशोधन ।

"(5) कोई सीमित दायित्व भागीदारी, जो उपधारा (3) के उपबंधों का अनुपालन करने में असफल रहती है, तो ऐसी सीमित दायित्व भागीदारी और उसके पदाभिहित भागीदार ऐसी असफलता के जारी रहने की दशा में, ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान ऐसी असफलता जारी रहती है, सीमित दायित्व भागीदारी के लिए अधिकतम एक लाख रुपए और उसके प्रत्येक पदाभिहित भागीदार के लिए पचास हजार रुपए के अधीन रहते हुए, प्रत्येक दिन के लिए सौ रुपए अतिरिक्त जुर्माने का दायी होगा ।";

(6) सीमित दायित्व भागीदारी, जो उपधारा (1), उपधारा (2) और उपधारा (4) के उपबंधों का अनुपालन करने में असफल रहती है, ऐसी सीमित दायित्व भागीदारी ऐसे जुर्माने से जो पच्चीस लाख रुपए से कम का नहीं होगा किंतु जो पांच लाख रुपए तक का हो सकेगा और ऐसी सीमित दायित्व भागीदारी का प्रत्येक पदाभिहित भागीदार ऐसे जुर्माने से जो दस हजार रुपए से कम का नहीं होगा किंतु जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा ।"।

14. मूल अधिनियम की धारा 34 के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :— नई धारा 34क का अंतःस्थापन ।

2013 का 18 लेखा और संपरीक्षा मानक ।

"34क. केंद्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 132 के अधीन गठित राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण के परामर्श से, चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 की धारा 3 के अधीन गठित भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान द्वारा की गई सिफारिशों के अनुसार, सीमित दायित्व भागीदारी के किसी प्रवर्ग या प्रवर्गों के निम्नलिखित मानक विहित कर सकेगी,— 1949 का 38

(क) लेखा मानक ; और

(ख) संपरीक्षा मानक ;"।

धारा 35 का संशोधन ।

15. मूल अधिनियम की धारा 35 में, उपधारा (2) और उपधारा (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

"(2) यदि कोई सीमित दायित्व भागीदारी, उपधारा (1) के अधीन अपनी वार्षिक विवरणी उसमें विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के पूर्व प्रस्तुत करने में असफल रहती है तब ऐसी असफलता के जारी रहने की दशा में, ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान ऐसी असफलता जारी रहती है, सीमित दायित्व भागीदारी के लिए अधिकतम एक लाख रुपए और उसके प्रत्येक पदाभिहित भागीदार के लिए पचास हजार रुपए के अधीन रहते हुए, प्रत्येक दिन के लिए सौ रुपए अतिरिक्त जुर्माने का दायी होगा ।"।

धारा 39 के लिए नई धारा का प्रतिस्थापन ।

16. मूल अधिनियम की धारा 39 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

अपराधों का शमन ।

"39. (1) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में किसी बात के होते हुए भी, प्रादेशिक निदेशक या केंद्रीय सरकार द्वारा प्राधिकृत प्रादेशिक निदेशक की पंक्ति से अन्यून का कोई अन्य अधिकारी, किसी ऐसे अपराध का, जो केवल जुर्माने से दंडनीय है, ऐसे व्यक्ति से, जिसके बारे में युक्तियुक्त रूप से संदेह है कि उसने अपराध किया है, ऐसी राशि का, जो अपराध के लिए विहित अधिकतम जुर्माने की रकम तक की हो सकेगी, किंतु जो अपराध के लिए उपबंधित न्यूनतम रकम से अन्यून नहीं होगी, संग्रहण करके, शमन कर सकेगा । 1974 का 2

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, सीमित दायित्व भागीदारी या उसके भागीदार या उसके पदाभिहित भागीदार द्वारा कारित उस अपराध, जो उस तारीख से तीन वर्ष की अवधि के भीतर जिसको उसके द्वारा वैसा ही अपराध कारित किया गया था या इस धारा के अधीन उसके द्वारा शमन कराया गया था, को लागू नहीं होगी ।

स्पष्टीकरण—शंकाओं को दूर करने के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि कोई दूसरा अपराध या पश्चातवर्ती अपराध, जो उस तारीख से तीन वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् कारित किया जाता है, जिसको पूर्ववर्ती अपराध शमन कराया गया था, को प्रथम अपराध समझा जाएगा ।

(3) किसी अपराध के शमन के लिए प्रत्येक आवेदन, रजिस्ट्रार को किया जाएगा जो इसे अपनी टीका-टिप्पणी के साथ, यथास्थिति, प्रादेशिक निदेशक या केंद्रीय सरकार द्वारा प्राधिकृत प्रादेशिक निदेशक की पंक्ति से अन्यून के किसी अन्य अधिकारी को अग्रेषित करेगा ।

(4) जहां इस धारा के अधीन किसी अपराध का शमन किया जाता है, चाहे किसी अभियोजन के संस्थापन के पूर्व हो या पश्चात् हो तो रजिस्ट्रार को उसकी संसूचना उस तारीख से, जिसको अपराध का शमन किया जाता है, सात दिन की अवधि के भीतर दी जाएगी ।

(5) जहां किसी अपराध का किसी अभियोजन के संस्थापन से पूर्व शमन किया जाता है, वहां ऐसे अपराध के संबंध में कोई अभियोजन संस्थापित नहीं किया जाएगा ।

(6) जहां किसी अभियोजन के संस्थापन के पश्चात्, किसी अपराध का

शमन किया जाता है, वहां रजिस्ट्रार द्वारा लिखित रूप में ऐसे शमन की सूचना उस न्यायालय को दी जाएगी जिसमें अभियोजन लंबित है और अपराध के शमन की ऐसी सूचना देने पर ऐसे अपराध के बारे में जिसका शमन किया गया है, अपराधी उन्मोचित हो जाएगा ।

(7) प्रादेशिक निदेशक या केंद्रीय सरकार द्वारा प्राधिकृत प्रादेशिक निदेशक की पंक्ति से अन्यून का कोई अन्य अधिकारी, किसी अपराध के शमन के किसी प्रस्ताव पर विचार करते समय किसी भागीदार, पदाभिहित भागीदार या सीमित दायित्व भागीदारी के अन्य कर्मचारी को लिखित में आदेश द्वारा निदेश दे सकेगा कि इस अधिनियम के अधीन संदत्त यथा अपेक्षित अतिरिक्त फीस या फीस के संदाय पर आदेश में विनिर्दिष्ट ऐसे समय के भीतर जो विहित किया जाए, ऐसी विवरणी, लेखा या अन्य दस्तावेज रजिस्टर या प्रस्तुत करे ।

(8) इस धारा में किसी बात के होते हुए भी, यदि कोई भागीदार या पदाभिहित भागीदार या सीमित दायित्व भागीदारी का अन्य कर्मचारी जो प्रादेशिक निदेशक या उपधारा (7) के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा प्राधिकृत प्रादेशिक निदेशक की पंक्ति से अन्यून किसी अन्य अधिकारी द्वारा किए गए किसी आदेश का अनुपालन करने में असफल रहता है तो इस धारा के अधीन अपराध के शमन के लिए जुर्माने की अधिकतम रकम जो प्रादेशिक निदेशक या ऐसे प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष सम्यक् रूप से विचाराधीन है, तत्स्थानी धारा में उपबंधित रकम की दोगुनी होगी जिसमें ऐसे अपराध के लिए दंड उपबंधित है ।"।

धारा 60 का संशोधन ।

17. मूल अधिनियम की धारा 60 में, उपधारा (4) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

"(4) यदि उपधारा (3) के उपबंधों का अनुपालन करने में व्यतिक्रम किया जाता है, सीमित दायित्व भागीदार और उसका प्रत्येक अभिहित भागीदार दस हजार रुपए की शास्ति के लिए दायी होगा और व्यतिक्रम के लगातार होने के मामले में प्रत्येक व्यतिक्रम के पश्चात प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान ऐसा व्यतिक्रम लगातार किया जा रहा हो, सीमित दायित्व भागीदारी के लिए एक लाख रुपए और प्रत्येक अभिहित भागीदार के लिए पचास हजार रुपए के अधिकतम अधीन रहते हुए सौ रुपये की अतिरिक्त शास्ति के लिए दायी होगा ।"।

धारा 62 का संशोधन ।

18. मूल अधिनियम की धारा 62 में, उपधारा (4) और उपधारा (4) के पश्चात् आने वाले स्पष्टीकरण के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा और स्पष्टीकरण रखा जाएगा ,अर्थात् :—

"(4) यदि उपधारा (3) के उपबंधों का अनुपालन करने में व्यतिक्रम किया जाता है, सीमित दायित्व भागीदार और उसका प्रत्येक अभिहित भागीदार दस हजार रुपए की शास्ति के लिए दायी होगा और व्यतिक्रम के लगातार होने के मामले में प्रत्येक व्यतिक्रम के पश्चात प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान ऐसा व्यतिक्रम लगातार किया जा रहा हो, सीमित दायित्व भागीदारी के लिए एक लाख रुपए और प्रत्येक अभिहित भागीदार के लिए पचास हजार रुपए के अधिकतम अधीन रहते हुए सौ रुपये की अतिरिक्त शास्ति के लिए दायी होगा ।

स्पष्टीकरण—इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए,—

(i) "संपत्ति" के अंतर्गत प्रत्येक प्रकार की संपत्ति, अधिकार और शक्तियां भीं हैं और "दायित्वों" के अंतर्गत प्रत्येक प्रकार के कर्तव्य भीं हैं;

(ii) "सीमित दायित्व भागीदारी" में कंपनी का समामेलन नहीं होगा ।"।

धारा 67क, 67ख और 67ग का अंत:स्थापन ।

19. मूल अधिनियम की धारा 67 के पश्चात् निम्नलिखित धाराएं अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

विशेष न्यायालयों की स्थापना ।

"67क. (1) केंद्रीय सरकार, इस अधिनियम के अधीन अपराधों के शीघ्र विचारण का उपबंध करने के प्रयोजन के लिए, अधिसूचना द्वारा कई विशेष न्यायालयों के रूप में स्थापित या अभिहित करेगी जैसा ऐसे क्षेत्र या क्षेत्रों के लिए आवश्यक हो, जो इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए ।"

(2) विशेष न्यायालय निम्नलिखित से मिलकर बनेगा,—

(क) तीन वर्ष या उससे अधिक कारावास के साथ इस अधिनियम के अधीन दंडनीय अपराधों के मामले में सेशन न्यायाधीश या अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश के रूप में पदधारण करने वाला एकल न्यायाधीश; और

(ख) अन्य अपराधों के मामले में प्रथम वर्ग मैट्रोपोलिटेन मजिस्ट्रेट या न्यायिक मजिस्ट्रेट,

जिसे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति की सहमति से केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा :

परंतु उपधारा (1) के अधीन जब तक विशेष न्यायालय अभिहित या स्थापित नहीं किए जाते हैं, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 435 के निबंधनानुसार विशेष न्यायालयों के रुप में अभिहित किए गए न्यायालयों को इस अधिनियम के अधीन दंडनीय अपराधों के विचारण के प्रयोजन के लिए विशेष न्यायालय समझा जाएगा : 2013 का 18

परंतु यह और कि दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम में कारित किया गया कोई अपराध जिसका किसी विशेष न्यायालय द्वारा विचारण किया जाता है, इस अधिनियम या कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन स्थापित किया गया है यथास्थिति, क्षेत्र के ऊपर अधिकारिता का प्रयोग करते हुए सेशन न्यायालय या मैट्रोपोलिटेन मजिस्ट्रेट न्यायालय या प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा विचारण किया जाएगा । 1974 का 2 2013 का 18

विशेष न्यायालय की प्रक्रिया और शक्तियां ।

67ख. (1) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, धारा 67क की उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट सभी अपराध उस क्षेत्र के लिए स्थापित या अभिहित किए गए विशेष न्यायालय द्वारा केवल विचारण किया जाएगा जिसमें सीमित दायित्व भागीदारी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय स्थित है जिसके संबंध में अपराध कारित किया गया है या ऐसे क्षेत्र के लिए एक से अधिक विशेष न्यायालय हैं उनमें से एक के द्वारा संबद्ध उच्च न्यायालय द्वारा उसकी ओर से विनिर्दिष्ट किया गया हो । 1974 का 2

(2) इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का विचारण करते समय विशेष न्यायालय इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के सिवाय अपराध का विचारण भी करेगा जिसके साथ अभियुक्त को दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अधीन समान विचारण के लिए आरोपित किया जा सकता है ।

(3) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, विशेष न्यायालय यदि वह उचित समझे, इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध 1974 का 2

का संक्षिप्त तरीके से विचारण करेगा जो तीन वर्ष की अनधिक अवधि के कारावास से दंडनीय है :

परंतु किसी संक्षिप्त विचारण में दोषसिद्धि के मामले में, एक वर्ष से अनधिक अवधि के कारावास के लिए कोई दंड नहीं पारित किया जाएगा :

परंतु यह और कि किसी संक्षिप्त विचारण के प्रारंभ होने पर या उसके क्रम में, विशेष न्यायालय को यह प्रतीत होता है कि मामले की प्रकृति ऐसी है कि एक वर्ष की अधिक अवधि के लिए कारावास का दंड पारित किया गया है या वैसा वह है, किसी अन्य कारण के लिए मामले के संक्षिप्त रुप से विचारण के लिए अवांछनीय होने पर, विशेष न्यायालय पक्षकारों की सुनवाई के पश्चात् उस प्रभाव के लिए एक आदेश रिकार्ड करेगा और तत्पश्चात् किसी साक्षी को पुन: बुलवाएगा जिसकी परीक्षा की जा सकेगी और नियमित विचारण के लिए प्रक्रिया के अनुसार मामले की पुन:सुनवाई की कार्रवाई करेगा ।

अपील और पुनर्विलोकन ।

67ग. उच्च न्यायालय, जैसा लागू हो सकता हो, उच्च न्यायालय पर दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 का अध्याय 29 और अध्याय 30 द्वारा प्रदत्त सभी शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा, जैसे यदि उच्च न्यायालय की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर यदि कोई विशेष न्यायालय उच्च न्यायालय की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर मामले के विचारण के लिए सेशन न्यायालय था ।" ।

1974 का 2

नई धारा 68क का अंत:स्थापन ।

20. मूल अधिनियम की धारा 68 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

रजिस्ट्रीकृत कार्यालय ।

"68क. (1) ऐसी शक्तियों और ऐसे कृत्यों का निर्वहन करने के प्रयोजन के लिए जिसे इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों द्वारा या उसके अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा प्रदत्त किया गया हो और इस अधिनियम के अधीन सीमित दायित्व भागीदारी के रजिस्ट्रीकरण के प्रयोजन के लिए केंद्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा ऐसे स्थानों पर जो वह उचित समझे, अपनी अधिकारिता का प्रयोग करते हुए ऐसी संख्या के रजिस्ट्रीकरण कार्यालय की स्थापना करेगी ।

(2) केंद्रीय सरकार इस अधिनियम के अधीन विभिन्न कृत्यों का निर्वहन करने और सीमित दायित्व भागीदारी के रजिस्ट्रीकरण के लिए ऐसे रजिस्ट्रारों, अतिरिक्त रजिस्ट्रारों, संयुक्त रजिस्ट्रारों, उप रजिस्ट्रारों और सहायक रजिस्ट्रारों की नियुक्ति कर सकेगी जो वह आवश्यक समझे ।

(3) उपधारा (2) में निर्दिष्ट रजिस्ट्रारों की शक्तियां और कर्तव्य और उनके निबंधन और सेवाएं वैसी होंगी जो विहित की जाए ।

(4) केंद्रीय सरकार सीमित दायित्व भागीदारी के रजिस्ट्रीकरण से संबंधित या अपेक्षित दस्तावेजों के अधिप्रमाणन के लिए मुद्रा या मुद्राओं को तैयार कराने के लिए रजिस्ट्रार को निदेश दे सकेगी ।

धारा 69 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन ।

21. मूल अधिनियम की धारा 69 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

अतिरिक्त फीस का संदाय ।

"69. इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रार के पास रजिस्ट्रीकृत या फाइल किए जाने के लिए अपेक्षित किसी दस्तावेज या विवरणी यदि उसमें उपबंधित

समय में रजिस्ट्रीकृत या फाइल नहीं की जाती है, तो उस समय के पश्चात् ऐसी अतिरिक्त फीस के संदाय किए जाने पर रजिस्ट्रीकृत या फाइल की जा सकती है जो किसी फीस के अतिरिक्त विहित की जाए जैसे कि ऐसे दस्तावेज या विवरणी के फाइल किए जाने के लिए संदाय की जाती हो:

परंतु ऐसा दस्तावेज या विवरणी इस अधिनियम के अधीन किसी अन्य कार्रवाई या दायित्व पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना फाइल किए जाने की सम्यक् तारीख के पश्चात् फाइल किया जाएगा :

परंतु यह और कि विभिन्न फीस या अतिरिक्त फीस सीमित दायित्व भागीदारी के विभिन्न वर्गों के लिए या इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन फाइल किए जाने के लिए अपेक्षित विभिन्न दस्तावेजों या विवरणियों के लिए विहित की जा सकती है ।"।

धारा 72 का संशोधन ।

22. मूल अधिनियम की धारा 72 में उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधाराएं रखी जाएंगी, अर्थात् :—

"(2) अधिकरण के किसी आदेश द्वारा व्यथित कोई व्यक्ति अपील अधिकरण को अपील कर सकेगा :

परंतु कोई अपील पक्षकारों की सहमति के साथ अधिकरण द्वारा किए गए किसी आदेश से अपील अधिकरण को नहीं की जाएगी ।

(3) उपधारा (2) के अधीन की गई प्रत्येक अपील उस तारीख से साठ दिन की अवधि के भीतर फाइल की जाएगी जिस तारीख को अधिकरण के आदेश की प्रति व्यथित व्यक्ति को उपलब्ध करा दी जाती है और उस प्ररूप में की जाएगी और ऐसी फीस के साथ संदाय किया जाएगा जो विहित की जाए :

परंतु अपील अधिकरण साठ दिन की उक्त अवधि के समाप्ति के पश्चात् किसी अपील ग्रहण को कर सकेगी, किंतु ऐसी अतिरिक्त अवधि साठ दिन से अधिक नहीं होगी, यदि इस बात का समाधान हो जाता है कि अपीलकर्ता इस प्रकार विनिर्दिष्ट की गई अवधि के भीतर अपील को फाइल करने के कारण निवारित किया गया था ।

(4) उपधारा (2) के अधीन किसी अपील की प्राप्ति पर अपील अधिकरण सुनवाई का अवसर देने पर अपील के लिए पक्षकारों को दिए जाने के पश्चात् आदेश को सुनिश्चित करने, उपांतरित करने या एक पक्षीय पारित करने के लिए जिसके विरुद्ध अपील की गई है, उस पर ऐसे आदेश पारित करेगा जो वह उचित समझे ।

(5) अपील अधिकरण अपने द्वारा किए गए प्रत्येक आदेश की एक प्रति को अधिकरण और अपील के लिए पक्षकारों को भेजेगा ।"।

धारा 73 का लोप किया जाना ।

23. मूल अधिनियम की धारा 73 का लोप किया जाएगा ।

धारा 74 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन ।

24. मूल अधिनियम की धारा 74 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

साधारण शास्तियां ।

"74.यदि कोई सीमित दायित्व भागीदारी या भागीदार या कोई अभिहित भागीदार या कोई अन्य व्यक्ति इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के किन्हीं उपबंधों का उल्लंघन करता है, या किसी शर्त, सीमा या प्रतिबंध

जिसके अधीन कोई अनुमोदन, मंजूरी, सहमति, पुष्टिकरण, मान्यता, निदेश या किसी मामले के संबंध में छूट दी गई या अनुदत्त की गई है, तथा जिसके लिए इस अधिनियम में अन्यत्र किसी शास्ति या दंड का उपबंध नहीं किया गया है, सीमिति दायित्व भागीदारी या कोई भागीदार या कोई अभिहित भागीदार या कोई अन्य व्यक्ति जिसने व्यतिक्रम किया है, पांच हजार रुपए की शास्ति के लिए और उल्लंघन के लगातार होने के मामले में प्रत्येक उल्लंघन के पश्चात प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान ऐसा उल्लंघन लगातार किया जा रहा हो, एक लाख रुपए के अधिकतम अधीन रहते हुए सौ रुपये की अतिरिक्त शास्ति के लिए दायी होगा ।"।

नई धारा 76क का अंत:स्थापन ।

25. मूल अधिनियम की धारा 76 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

शास्तियों का न्यायनिर्णयन ।

"76क. (1) इस अधिनियम के अधीन न्यायनिर्णायक शास्तियों के प्रयोजन के लिए, केंद्रीय सरकार राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा ऐसी रीति में जो विहित की जाए, न्यायनिर्णायक अधिकारियों के रूप में रजिस्ट्रार की पंक्ति से अन्यून केंद्रीय सरकार के अनेक अधिकारियों की नियुक्ति कर सकेगी ।

(2) केंद्रीय सरकार, न्यायनिर्णायक अधिकारियों की नियुक्ति करते समय उपधारा (1) के अधीन आदेश में अपनी अधिकारिता को निर्दिष्ट करेगी ।

(3) न्यायनिर्णायक अधिकारी आदेश द्वारा—

(क) इस अधिनियम के सुसंगत उपबंधों के अधीन उसमें किसी अननुपालन या व्यतिक्रम का कथन करते हुए यथास्थिति, सीमित दायित्व भागीदारी या उसके भागीदारों या अभिहित भागीदारों या कोई अन्य व्यक्ति पर शास्ति अधिरोपित करना:

परंतु धारा 34 की उपधारा (3) या धारा 35 की उपधारा (1) के अननुपालन से संबंधित व्यतिक्रम के मामले में और ऐसा व्यतिक्रम या तो पहले या न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा सूचना जारी करने के तीस दिन के भीतर सुधार किया गया है, इस संबंध में कोई शास्ति नहीं अधिरोपित की जाएगी और ऐसे व्यतिक्रम के संबंध में इस धारा के अधीन कार्यवाहियां समाप्त की गई समझी जाएंगी :

परंतु यह और कि इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी यदि शास्ति, ऐसे सीमित दायित्व भागीदारी के संबंध में लघु सीमित दायित्व भागीदारी या स्टार्ट अप सीमित दायित्व भागीदारी या उसके भागीदारों द्वारा या अभिहित भागीदार या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा इस अधिनियम के किन्हीं उपबंधों के अननुपालन के लिए दायी है, तब ऐसा सीमित दायित्व भागीदारी या उसके भागीदार या अभिहित भागीदार या कोई अन्य व्यक्ति उस शास्ति के लिए दायी होंगे जो यथास्थिति, सीमित दायित्व भागीदारी के लिए एक लाख रुपए तथा प्रत्येक भागीदार या अभिहित भागीदार या किसी अन्य व्यक्ति के लिए पचास हजार रुपए अधिकतम के अधीन ऐसे उपबंधों में विनिर्दिष्ट शास्ति की आधी होगी ।

स्पष्टीकरण—इस उपबंध के प्रयोजन के लिए "स्टार्ट अप सीमित दायित्व भागीदारी" पद से इस अधिनियम के अधीन निगमित सीमित दायित्व भागीदारी अभिप्रेत है और समय समय पर केंद्रीय सरकार द्वारा

जारी अधिसूचनाओं के अनुसार मान्यता प्राप्त है ।

(ख) व्यतिक्रम का सुधार करने के लिए, यथास्थिति, ऐसे सीमित दायित्व भागीदारी या उसके भागीदार या अभिहित भागीदार या कोई अन्य व्यक्ति के लिए निदेश, जहां कहीं वह लिखित में रिकार्ड करने के लिए कारणों हेतु उचित समझे ।

(4) न्यायनिर्णायक अधिकारी किसी शास्ति को अधिरोपित करने से पूर्व ऐसे सीमित दायित्व भागीदारी या उसके भागीदार या अभिहित भागीदार या किसी अन्य व्यक्ति को जिसने व्यतिक्रम किया है, सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा ।

(5) उपधारा (3) के अधीन न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा किए गए किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति मामले में अधिकारिता रखने वाले क्षेत्रीय निदेशक को अपील कर सकेगा ।

(6) उपधारा (5) के अधीन की गई प्रत्येक अपील उस तारीख से साठ दिन की अवधि के भीतर फाइल की जाएगी जिस तारीख को न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा किए गए आदेश की प्रति व्यथित व्यक्ति द्वारा प्राप्त कर ली जाती है और ऐसे प्ररूप, रीति और ऐसी फीस के साथ की जाएगी जो विहित किया जाए :

परंतु क्षेत्रीय निदेशक तीस दिन से अनधिक अवधि द्वारा इस उपधारा के अधीन लिखित में रिकार्ड करने के लिए किसी अपील को फाइल करने की अवधि को बढ़ा सकेगा ।

(7) क्षेत्रीय निदेशक अपील के लिए पक्षकारों को सुनवाई किए जाने के उचित अवसर को दिए जाने के पश्चात् अपील के विरुद्ध पुष्टि करने, उपांतरित करने या एक पक्षीय आदेश को पारित करने के लिए ऐसा आदेश पारित करेगा जो वह ठीक समझे ।

(8) जहां सीमित दायित्व भागीदारी आदेश की प्राप्ति की तारीख से नब्बे दिन की अवधि के भीतर, यथास्थिति, उपधारा (3) या उपधारा (7) के अधीन किए गए आदेश के अनुपालन में विफल हो जाता है, ऐसा सीमित दायित्व भागीदार ऐसे जुर्माने के साथ दंडनीय होगा जो पच्चीस हजार रुपए से अनधिक होगा किंतु जो पांच लाख रुपए तक का हो सकेगा ।

(9) जहां सीमित दायित्व भागीदारी का कोई भागीदार या अभिहित भागीदार या कोई अन्य व्यक्ति जिसने व्यतिक्रम किया है आदेश की प्राप्ति की तारीख से नब्बे दिन की अवधि के भीतर, यथास्थिति, उपधारा (3) या उपधारा (7) के अधीन किए गए आदेश के अनुपालन में विफल हो जाता है, ऐसा भागीदार या अभिहित भागीदार या कोई अन्य व्यक्ति ऐसे कारावास से दंडनीय होगा जो छह मास तक का हो सकेगा या जुर्माने से जो पच्चीस हजार रुपए से अनधिक होगा किंतु एक लाख रुपए या दोनों तक का हो सकेगा।"।

धारा 77 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन ।

26. मूल अधिनियम की धारा 77 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

न्यायालय की अधिकारिता ।

"77. इस अधिनियम के अधीन विशेष न्यायालयों की स्थापना या अभिहित किए जाने की तारीख से ही धारा 67क और धारा 67ख में अंतर्विष्ट उपबधों के अधीन , -

(i) धारा 67क की उपधारा (2) के खंड (क) में निर्दिष्ट विशेष न्यायालय को अधिकारिता होगी और अधिनियम की धारा 30 के अधीन दंड अधिरोपित करने की शक्ति होगी; और

(ii) सीमित दायित्व भागीदारी या उसके भागीदारों या अभिहित भागीदारों या किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध दांडिक मामले में इस अधिनियम के अधीन व्यतिक्रम फाइल किया गया है और यथास्थिति, प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट या मैट्रोपोलिटेन मजिस्ट्रेट के न्यायालय के समक्ष लंबित है, धारा 67क की उपधारा (2) के खंड (ख) के लिए निर्दिष्ट विशेष न्यायालय को स्थानांतरित किया जाएगा ।

अपराध का संज्ञान ।

77क. धारा 67क में निर्दिष्ट विशेष न्यायालयों के सिवाय कोई न्यायालय इस प्रयोजन के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा सम्यक रूप से प्राधिकृत रजिस्ट्रार की पंक्ति से अन्यून किसी अधिकारी द्वारा या रजिस्ट्रार द्वारा लिखित में शिकायत किए जाने पर इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन दंडनीय किसी अपराध का संज्ञान नहीं करेगा ।"।

धारा 79 का संशोधन ।

27. मूल अधिनियम की धारा 79 में, उपधारा (2) में, —

(i) खंड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खंडों को रखा जाएगा, अर्थात् :-

"(क) धारा 2 के खंड (नक) के उपखंड (i) और उपखंड (ii) के अधीन ऐसे उच्चतर रकम का संदाय;

(कक) निबंधन और शर्तों का धारा 2 के खंड (नक) की दीर्घ पंक्ति के अधीन सीमित दायित्व भागीदारों के वर्ग या वर्गों द्वारा पूर्ण किया जाना ;

(कख) धारा 7 की उपधारा (3) के अधीन अभिहित भागीदार द्वारा दी जाने वाली पूर्व सहमति का प्ररूप और रीति ;

(ii) खंड (ट) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(टक) धारा 17 की उपधारा (3) के अधीन सीमित दायित्व भागीदारी के लिए नए नाम को आबंटित करने की रीति;";

(iii) खंड (त) के पश्चात् निम्नलिखित खंडों को अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(तक) धारा 33क की उपधारा (1) के अधीन ऐसे निबंधनों और शर्तों के अधीन ऐसे अन्य व्यक्तियों के लिए डिबैंचर का जारी किया जाना;

(तख) धारा 33क की उपधारा (3) के अधीन डिबैंचर धारकों के रजिस्टर का प्ररूप और रीति और रखरखाव ;

(तग) धारा 33क की उपधारा (4) के अधीन डिबैंचर लेखा को सृजित करने की रीति;

(तघ) धारा 33क की उपधारा (7) के अधीन रजिस्ट्रार के साथ फाइल किए जाने के लिए सूचना, दस्तावेज और आबंटनों की विवरणी ;";

(iv) खंड (न) के पश्चात् निम्नलिखित खंडों को अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(नक) धारा 34क के अधीन लेखा और संपरीक्षण के मानक";

(v) खंड (यच) के पश्चात् निम्नलिखित खंडों को अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(यचक) धारा 68क की उपधारा (3) के अधीन रजिस्ट्रारों द्वारा निर्वहन की जाने वाली शक्तियां और कर्तव्य तथा उनकी सेवा के निबंधन और शर्तें;

(यचख) धारा 69 के अधीन दस्तावेज या विवरणी को भरने के लिए अतिरिक्त फीस का संदाय और विभिन्न फीस या अतिरिक्त फीस का संदाय;

(यचग) धारा 72 की उपधारा (3) के अधीन अपील को फाइल करने की रीति और फीस;";

(vi) खंड (यछ) के पश्चात् निम्नलिखित खंडों को अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(यछक) धारा 76क की उपधारा (1) के अधीन न्यायनिर्णायक शास्ति के लिए न्यायनिर्णायक अधिकारियों की नियुक्ति करने की रीति;

(यछख) धारा 76क की उपधारा (6) के अधीन न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा किए गए आदेश के विरुद्ध किसी अपील को फाइल करने का प्ररूप, रीति और उसकी फीस;";

(vii) खंड (यठ) में, अंत में आने वाले "और" शब्द का लोप किया जाएगा;

(viii) खंड (यड) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(यढ) कोई अन्य मामला जिसे विहित किया गया है या विहित किया जा सकता है, या जिसके संबंध में उपबंध को नियमों द्वारा किया जाता है ।"।

धारा 80 का संशोधन ।

28. मूल अधिनियम की धारा 80 में उपधारा (1) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"(1क) उपधारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी,यदि सीमित दायित्व भागीदारी (संशोधन) अधिनियम, 2021 द्वारा यथा संशोधित इस अधिनियम के उपबंध को प्रभावी बनाने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो केंद्रीय सरकार राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत ऐसे उपबंध बना सकेगी जो कठिनाइयों को दूर करने के लिए आवश्यक हो सके :

परंतु इस धारा के अधीन किया गया ऐसा कोई आदेश सीमित दायित्व भागीदारी (संशोधन) अधिनियम, 2021 के प्रारंभ की तारीख से तीन वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा ।"।

धारा 81 का लोप ।

29. मूल अधिनियम की धारा 81 का लोप किया जाएगा ।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008, सीमित दायित्व भागीदारी की विरचना और विनियमन का तथा उनसे संबंधित या उनके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए अधिनियमित किया गया था ।

2. अधिनियम का मुख्य प्रयोजन, एक ऐसे नए निगमित निकाय प्ररूप का उपबंध करने के लिए था, जो नम्य, परिवर्तनकारी तथा दक्ष रीति में सम्मिलित, संगठित और प्रचालित किए जाने वाली वृत्तिक विशेषज्ञता तथा उद्यमीय पहल को समर्थ बनाने के लिए पारम्परिक भागीदारी रूप के लिए विकल्प का उपबंध करेगा ।

3. विधि का पालन करने वाले निगमों के लिए अधिक सुगम निर्वाह को सुकर बनाने तथा अधिनियम के कतिपय उपबंधों के निरापराधिकरण करने के लिए केंद्रीय सरकार के सतत् प्रयास को ध्यान में रखते हुए अधिनियम के कतिपय उपबंधों का संशोधन करना आवश्यक हो गया है ।

4. सीमित दायित्व भागीदारी (संशोधन) विधेयक, 2021, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित के लिए उपबंध करता है, अर्थात् :—

(i) कंपनी अधिनियम, 2013 के "लघु कंपनी" की संकल्पना के अनुरूप, "लघु सीमित दायित्व भागीदारी" की संकल्पना को आरंभ करना ;

(ii) अधिनियम की कतिपय धाराओं का संशोधन करना, जिससे अपराधों को सिविल व्यतिक्रमों में संपरिवर्तित किया जा सके और उक्त धाराओं में उपबंधित दंड की प्रकृति को जुर्माने से धनीय शास्तियों में संपरिवर्तित किया जा सके ;

(iii) नई धारा 34क अंत:स्थापित करना जिससे सीमित दायित्व भागीदारियों के वर्ग या वर्गों के लिए, "लेखांकन मानकों" या "संपरीक्षा मानकों" को विहित करने के लिए केंद्रीय सरकार को सशक्त किया जा सके ;

(iv) "अपराधों का शमन" से संबंधित अधिनियम की धारा 39 का संशोधन करना, जिससे इस अधिनियम के अधीन किसी ऐसे अपराध का, जो केवल जुर्माने से दंडनीय है, उपशमन करने के लिए प्रादेशिक निदेशक को प्राधिकृत किया जा सके ;

(v) उतने "विशेष न्यायालयों", जितने अधिनियम के अधीन अपराधों के त्वरित विचारण का उपबंध करने के प्रयोजन के लिए आवश्यक हों, की स्थापना करने या पदाभिहित करने के लिए केंद्रीय सरकार को सशक्त करने वाली एक नई धारा 67क अंत:स्थापित करना ;

(vi) अधिनियम की धारा 72 का संशोधन करना, जिससे उपबंधों में अधिक स्पष्टता का तब उपबंध किया जा सके, जब "अधिकरण" के आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति "अपील अधिकरण" को अपील करता है ;

(vii) एक नई धारा 76क का अंत:स्थापन करना, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि केंद्रीय सरकार, न्यायनिर्णायक अधिकारी के रूप में उतने अधिकारियों को नियुक्त कर सकेगी, जितने वह इस अधिनियम के अधीन

शास्तियों के न्यायनिर्णयन के प्रयोजन के लिए आवश्यक समझे ।

5. खंडों पर टिप्पण विधेयक के विभिन्न उपबंधों को विस्तार से स्पष्ट करते हैं ।

6. विधेयक उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए है ।

नई दिल्ली ;
28 जुलाई, 2021

निर्मला सीतारामन

उपाबंध

सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008 (2009 का अधिनियम संख्यांक 6) से उद्धरण

* * * * *

2. (1) इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,— परिभाषाएं ।

* * * * *

1956 का 1

(ग) "अपील अधिकरण" से कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 10चद की उपधारा (1) के अधीन गठित राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण अभिप्रेत है;

(घ) "निगम निकाय" से कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 3 में यथापरिभाषित कंपनी अभप्रेत है और इसके अंतर्गत निम्नलिखित भी हैं—

(i) इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत सीमित दायित्व भागीदारी;

(ii) भारत के बाहर निगमित सीमित दायित्व भागीदारी; और

(iii) भारत के बाहर निगमित कंपनी,

किन्तु इसके अंतर्गत निम्नलिखित नहीं हैं—

(i) एकल निगम;

(ii) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत सहकारी सोसाइटी; और

1956 का 1

(iii) कोई अन्य निगम निकाय [जो कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 3 में यथापरिभाषित कंपनी या इस अधिनियम में यथापरिभाषित सीमित दायित्व भागीदारी नहीं है], जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे;

(ङ) "कारबार" में प्रत्येक व्यापार, वृत्ति, सेवा और उपजीविका सम्मिलित हैं;

* * * * *

1956 का 1

(ध) "रजिस्ट्रार" से कंपनी अधिनियम, 1956 के अधीन कंपनियों को रजिस्ट्रीकृत करने के कर्तव्य वाला रजिस्ट्रार, या अपर, संयुक्त, उप या सहायक रजिस्ट्रार अभिप्रेत है;

* * * * *

1956 का 1

(प) "अधिकरण" से कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 10चख की उपधारा (1) के अधीन गठित राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण अभिप्रेत है ।

* * * * *

अभिहित भागीदार ।

7. (1) प्रत्येक सीमित दायित्व भागीदारी के कम से कम दो अभिहित भागीदार होंगे, जो व्यष्टि हों और उनमें से कम से कम एक भारत में निवासी होगा :

परन्तु ऐसी सीमित दायित्व भागीदारी की दशा में, जिसमें सभी भागीदार निगम निकाय हैं या जिसमें एक या अधिक भागीदार व्यष्टि और निगम निकाय हैं, कम से कम दो व्यष्टि जो ऐसी सीमित दायित्व भागीदारी के भागीदार हैं या ऐसे निगम निकायों के नामनिर्देशिती हैं, अभिहित भागीदारों के रूप में कार्य करेंगे ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजन के लिए "भारत में निवासी" पद से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो ठीक पूर्ववर्ती एक वर्ष के दौरान एक सौ बयासी दिन से अन्यून की अवधि के लिए भारत में ठहरा है ।

* * * * *

(6) सीमित दायित्व भागीदारी का प्रत्येक अभिहित भागीदार केन्द्रीय सरकार से अभिहित भागीदार पहचान संख्या अभिप्राप्त करेगा और उक्त प्रयोजन के लिए कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 266क से धारा 266छ (जिसमें दोनों धाराएं भी सम्मिलित हैं) के उपबंध यथा आवश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे । 1956 का 1

* * * * *

धारा 7, धारा 8 और धारा 9 के उल्लंघन के लिए दंड ।

10. (1) यदि सीमित दायित्व भागीदारी धारा 7 की उपधार (1) के उपबंधों का उल्लंघन करती है तो सीमित दायित्व भागीदारी और उसका प्रत्येक भागीदार जुर्माने से, जो दस हजार रुपए से कम का नहीं होगा, किन्तु जो पांच लाख रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा ।

(2) यदि सीमित दायित्व भागीदारी, धारा 7 की उपधारा (4) और उपधारा (5), धारा 8 या धारा 9 के उपबंधों का उल्लंघन करती है, तो सीमित दायित्व भागीदारी और उसका प्रत्येक भागीदार जुर्माने से, जो दस हजार रुपए से कम का नहीं होगा, किन्तु जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा ।

* * * * *

सीमित दायित्व भागीदारी का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय और उसमें परिवर्तन ।

13. (1) * * * *

(4) यदि सीमित दायित्व भागीदारी इस धारा के किन्हीं उपबंधों का उल्लंघन करती है तो सीमित दायित्व भागीदारी और उसका प्रत्येक भागीदार जुर्माने से, जो दो हजार रुपए से कम का नहीं होगा, किन्तु जो पच्चीस हजार रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा ।

* * * * *

नाम ।

15. (1) * * * *

(2) कोई सीमित दायित्व भागीदारी ऐसे नाम से रजिस्ट्रीकृत नहीं की जाएगी जो केन्द्रीय सरकार की राय में—

* * * * *

(ख) किसी अन्य भागीदारी फर्म या सीमित दायित्व भागीदारी या निगम निकाय या रजिस्ट्रीकृत व्यापार चिह्न या ऐसे किसी व्यापार चिह्न के समरूप

1999 का 47

है या उससे बहुत कुछ मिलता-जुलता है, जो व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999 के अधीन किसी अन्य व्यक्ति के रजिस्ट्रीकरण के लिए कभी आवेदन की विषय वस्तु है ।

* * * * *

सीमित दायित्व भागीदारी के नाम का परिवर्तन ।

17. (1) धारा 15 और धारा 16 में किसी बात के होते हुए भी, जहां केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि सीमित दायित्व भागीदारी किसी ऐसे नाम से रजिस्ट्रीकृत की गई है (चाहे अनवधनता से या अन्यथा और चाहे मूल रूप से या नाम में परिवर्तन द्वारा) जो—

(क) धारा 15 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट नाम है; या

(ख) किसी अन्य सीमित दायित्व भागीदारी या निगम निकाय या अन्य नाम के समरूप है या उससे इतना मिलता-जुलता है, जिससे भूल होने की संभावना है,

वहां केन्द्रीय सरकार, ऐसी सीमित दायित्व भागीदारी को अपने नाम में परिवर्तन करने का निदेश दे सकेगी और सीमित दायित्व भागीदारी उक्त निदेश का, निदेश की तारीख के पश्चात् तीन मास के भीतर या ऐसी दीर्घतर अवधि के भीतर, जो केन्द्रीय सरकार अनुज्ञात करे, पालन करेगी ।

(2) कोई ऐसी सीमित दायित्व भागीदारी जो, उपधारा (1) के अधीन दिए गए किसी निदेश का पालन करने में असफल रहती है, जुर्माने से जो दस हजार रुपए से कम का नहीं होगा किन्तु जो पांच लाख रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगी और ऐसी सीमित दायित्व भागीदारी का अभिहित भागीदार जुर्माने से जो दस हजार रुपए से कम का नहीं होगा किन्तु एक लाख रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा ।

कतिपय परिस्थितियों में नाम के परिवर्तन के निदेश के लिए आवेदन ।

18. (1) कोई अस्तित्व जिसका नाम पहले से ही किसी ऐसी सीमित दायित्व भागीदारी के, जिसे बाद में निगमित किया गया है, नाम के समरूप है, ऐसी रीति में जो विहित की जाए, धारा 17 में निर्दिष्ट आधार पर किसी सीमित दायित्व भागीदारी को अपना नाम परिवर्तन करने के लिए निदेश देने के लिए रजिस्ट्रार को आवेदन कर सकेगा ।

(2) रजिस्ट्रार, धारा 17 की उपधारा (1) के खंड (ख) में निर्दिष्ट आधार पर किसी सीमित दायित्व भागीदारी को कोई निदेश देने के लिए उपधारा (1) के अधीन किसी आवेदन पर तभी विचार करेगा जब रजिस्ट्रार को उस नाम से सीमित दायित्व भागीदारी के रजिस्ट्रीकरण की तारीख से चौबीस मास के भीतर आवेदन प्राप्त हुआ हो ।

* * * * *

नाम और सीमित दायित्व का प्रकाशन ।

21. (1) * * * *

(2) कोई सीमित दायित्च भागीदारी, जो उपधारा (1) के उपबंधों का उल्लंघन करती है, जुर्माने से, जो दो हजार रुपए से कम का नहीं होगा, किन्तु जो पच्चीस हजार रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगी ।

* * * * *

भागीदारों के परिवर्तन का रजिस्ट्रीकरण ।

25. (1) * * * *

(4) यदि सीमित दायित्व भागीदारी उपधारा (2) के उपबंधों का उल्लंघन करती है तो सीमित दायित्व भागीदारी और सीमित दायित्व भागीदारी का प्रत्येक अभिहित भागीदार जुर्माने से, जो दो हजार रुपए से कम का नहीं होगा किन्तु जो पच्चीस हजार रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा ।

(5) यदि कोई भागीदार उपधारा (1) के उपबंधों का उल्लंघन करता है तो, ऐसा भागीदार जुर्माने से, जो दो हजार रुपए से कम का नहीं होगा किन्तु जो पच्चीस हजार रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा ।

* * * * *

कपट की दशा में असीमित दायित्व ।

30. (1) * * * *

(2) जहां कोई कारबार ऐसे आशय से या ऐसे प्रयोजन के लिए किया जाता है जो उपधारा (1) में उल्लिखित है वहां प्रत्येक व्यक्ति जो पूर्वोक्त रीति में कारबार करने के लिए जानबूझकर पक्षकार था, कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से, जो पचास हजार रुपए से कम का नहीं होगा किन्तु जो पांच लाख रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा ।

* * * * *

अध्याय 7

वित्तीय प्रकटन

लेखा बहियों, अन्य अभिलेखों का रखा जाना और उनकी संपरीक्षा, आदि ।

34. (1) * * * *

(5) ऐसी कोई सीमित दायित्व भागीदारी, जो इस धारा के उपबंधों का अनुपालन करने में असफल रहती है, जुर्माने से, जो पच्चीस हजार रुपए से कम का नहीं होगा, किंतु जो पांच लाख रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगी और ऐसी सीमित दायित्व भागीदारी का प्रत्येक अभिहित भागीदार जुर्माने से, जो दस हजार रुपए से कम का नहीं होगा किंतु जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा ।

वार्षिक विवरणी ।

35. (1) * * * *

(2) ऐसी कोई सीमित दायित्व भागीदारी, जो इस धारा के उपबंधों के अनुपालन में असफल रहती है, जुर्माने से, जो पच्चीस हजार रुपए से कम का नहीं होगा, किंतु जो पांच लाख रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगी ।

(3) यदि सीमित दायित्व भागीदारी इस धारा के उपबंधों का उल्लंघन करती है, तो ऐसी सीमित दायित्व भागीदारी का अभिहित भागीदार, जुर्माने से, जो दस हजार रुपए से कम का नहीं होगा किंतु जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा ।

* * * * *

39. केन्द्रीय सरकार इस अधिनियम के अधीन ऐसे किसी अपराध का, जो केवल जुर्माने से दंडनीय है, ऐसे व्यक्ति से, जिसके बारे में युक्तियुक्त रूप से संदेह है कि उसने अपराध किया है ऐसी राशि का, जो अपराध के लिए विहित अधिकतम जुर्माने की रकम तक की हो सकेगी, संग्रहण करके, शमन कर सकेगी । अपराधों का शमन ।

* * * * *

अध्याय 12

सीमित दायित्व भागीदारी का समझौता, ठहराव या पुर्नीमाण

60. (1) * * * * सीमित दायित्व भागीदारी का समझौता या ठहराव ।

(4) यदि उपधारा (3) का अनुपालन करने में व्यतिक्रम किया जाता है, सीमित दायित्व भागीदारी और सीमित दायित्व भागीदारी का प्रत्येक अभिहित भागीदार, जुर्माने से, जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा ।

* * * * *

62. (1) * * * * सीमित दायित्व भागीदारी के पुनर्निर्माण या समामेलन को सुकर बनाने के लिए उपबंध ।

(4) यदि उपधारा (3) के उपबंधों का अनुपालन करने में व्यतिक्रम किया जाता है तो सीमित दायित्व भागीदारी, सीमित दायित्व भागीदारी का प्रत्येक अभिहित भागीदार, जुर्माने से, जो पचास हजार रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा ।

स्पष्टीकरण—इस धारा में, "संपत्ति" के अंतर्गत प्रत्येक प्रकार की संपत्ति, अधिकार और शक्तियां भी हैं; और "दायित्वों" के अंतर्गत प्रत्येक प्रकार के कर्तव्य भी हैं ।

* * * * *

69. इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रार के पास फाइल या रजिस्ट्रीकृत किए जाने के लिए अपेक्षित कोई दस्तावेज या विवरणी यदि उसमें उपबंधित समय में फाइल या रजिस्ट्रीकृत नहीं की जाती है तो उस समय के पश्चात् उस तारीख से, जिस तक उसे फाइल किया जाना चाहिए, तीन सौ दिन की अवधि तक, ऐसी किसी फीस के अतिरिक्त, जो ऐसे दस्तावेज या विवरणी को फाइल करने के लिए संदेय हों, ऐसे विलंब के प्रत्येक दिन के लिए एक सौ रुपए की अतिरिक्त फीस के संदाय पर फाइल या रजिस्ट्रीकृत की जा सकेगी : अतिरिक्त फीस का संदाय ।

परंतु ऐसा दस्तावेज या विवरणी, इस अधिनियम के अधीन किसी अन्य कार्रवाई या दायित्व पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, इस धारा में विनिर्दिष्ट फीस और अतिरिक्त फीस के संदाय पर तीन सौ दिन की ऐसी अवधि के पश्चात् भी फाइल की जा सकेगी ।

* * * * *

72. (1) * * * * अधिकरण और अपील अधिकरण की अधिकारिता ।

(2) अधिकरण के किसी आदेश या विनिश्चय से व्यथित कोई व्यक्ति अपील अधिकरण को अपील कर सकेगा और कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 10चथ, धारा 10चयक, धारा 10छ, धारा 10छघ, धारा 10छङ और धारा 10छच के उपबंध ऐसी अपील के संबंध में लागू होंगे ।

अधिकरण द्वारा पारित किसी आदेश के अननुपालन के संबंध में शास्ति ।

73. जो कोई इस अधिनियम के किसी उपबंध के अधीन अधिकरण द्वारा किए गए किसी आदेश का पालन करने में असफल रहता है तो वह कारावास से, जो छह मास तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा और जुर्माने का भी,जो पचास हजार रुपए से कम का नहीं होगा, दायी होगा ।

साधारण शास्तियां ।

74. कोई व्यक्ति, जो इस अधिनियम के अधीन किसी ऐसे अपराध का दोषी है जिसके लिए स्पष्ट रूप से कोई दंड उपबंधित नहीं किया गया है, जुर्माने का जो पांच लाख रुपए तक का हो सकेगा, किंतु जो पांच हजार रुपए से कम का नहीं होगा, दायी होगा और अतिरिक्त जुर्माने का, जो उस प्रथम दिन के, जिसके पश्चात् व्यतिक्रम जारी रहता है, पश्चात् के प्रत्येक दिन के लिए पचास रुपए तक का हो सकेगा, दायी होगा ।

* * * * *

न्यायालय की अधिकारिता ।

77. तत्समय प्रवृत्त किसी अधिनियम में किसी प्रतिकूल उपबंध के होते हुए भी, यथास्थिति, प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट को इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का विचारण करने की अधिकारिता होगी और उक्त अपराध की बाबत दंड अधिरोपित करने की शक्ति होगी ।

* * * * *

नियम बनाने की शक्ति ।

79. (1) * * * *

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात् :—

(क) धारा 7 की उपधारा (3) के अधीन अभिहित भागीदार द्वारा दी जाने वाली पूर्व सहमति का प्ररूप और रीति;

* * * * *

(यठ) चौथी अनुसूची के पैरा 4 के उपपैरा (क) के अधीन विवरण का प्ररूप और रीति तथा संदेय फीस की रकम; और

* * * * *

संक्रमणकालीन उपबंध ।

81. जब तक कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) के उपबंधों के अधीन अधिकरण और अपील अधिकरण गठित नहीं किए जाते हैं तब तक इस अधिनियम के उपबंध निम्नलिखित उपांतरणों के अधीन रहते हुए इस प्रकार प्रभावी होंगे, मानो—

(क) धारा 41 की उपधारा (1) के खंड (ख), धारा 43 की उपधारा (1) के खंड (क), और धारा 44 में आने वाले "अधिकरण" शब्द के स्थान पर, "कंपनी विधि बोर्ड" शब्द रखे गए हों;

(ख) धारा 51 और धारा 60 से धारा 64 में आने वाले "अधिकरण" शब्द के स्थान पर, "उच्च न्यायालय" शब्द रखे गए हों;

(ग) धारा 72 की उपधारा (2) में आने वाले "अपील अधिकरण" शब्दों के स्थान पर, "उच्च न्यायालय" शब्द रखे गए हों ।

* * * * *

MGIPMRND—495RS(CRC)—28.07.2021.